



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2009/वैशाख 21, 1931

No. 730]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2009/VAISAKHA 21, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी

( आयुष ) विभाग ]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2009

का.आ. 1190(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में "केरल विश्वविद्यालय" से संबंधित क्रम संख्या 26 के सामने "केरल" शीर्षक के अंतर्गत "आयुर्वेद एवं सिद्ध" विषयक भाग -I में, स्तंभ 2, 3 और 4 के अंतर्गत वर्तमान उपबंधों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

तालिका

(1)	(2)	(3)	(4)
"सिद्ध मरुतुवा अरिगनर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी) बी.एस.एम.एस.	बी.एस.एम.एस. 2008 से आगे		

[फा. सं. वी. 12013/10/2008-आयु. डेस्क]

बी. आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 2994 तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2261 (अ) तारीख 24 सितम्बर, 2008 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (Ayush)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2009

S.O. 1190(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in Part I relating to "Ayurveda and Siddha" under the heading "Kerala", against serial number 26 relating to "University of Kerala", after the existing provision under columns 2, 3 and 4, the following entries shall respectively be inserted namely :—

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)
"Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) B.S.M.S.	B.S.M.S.		From 2008 onwards".

[F. No. V. 12013/10/2008-Ay. Desk]

B. ANAND, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 2994 dated the 10th August, 1971 and amended lastly vide number S.O. 2261(E) dated the 24th September, 2008.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931

No. 1365]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2009

का.आ. 2217(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने "असम" शीर्षक के अंतर्गत "आयुर्वेद एवं सिद्ध" विषयक उक्त अनुसूची के भाग-I में, स्तंभ संख्या 2, 3 और 4 में प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"आयुर्वेद वाचस्पति (डाक्टर ऑफ मेडीसिन आयुर्वेद)	एमडी (आयुर्वेद)	2004 से आगे ।"	

[फा. सं. आर 12013/1/2006-आयु. डेस्क]

बी. आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 2994, तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2261(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2008 द्वारा किया गया ।

3180 GI/2009

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,  
Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2009

S.O. 2217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In part 1 of the said Schedule relating to 'Ayurveda and Siddha', under the heading 'Assam', against serial number 5 relating to Gauhati University, Guwahati after the entries in columns number 2, 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"Ayurveda Vachaspati (Doctor of Medicine Ayurved)	MD (Ayurved)	From 2004 onwards."	

[F. No. R. 12013/1/2006-Ay. Desk]

B. ANAND, Jt. Secy.

Note:— The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 2994, dated 10th day of August, 1971 and last amended vide No. S.O. 2261 (E), dated the 24th September, 2008.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1503]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 2009/भाद्र 28, 1931

No. 1503]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 2009/BHADRA 28, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

( आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

का.आ. 2406(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

“आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित उक्त अनुसूची के भाग-1 में “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत क्रमांक 92क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“92ख राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	2009 से आगे
	आयुर्वेद वाचस्पति [डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (आयुर्वेद)]	एम. डी. (आयुर्वेद)	2007 से आगे
	आयुर्वेद धन्वन्तरि	एम.एस. (आयुर्वेद)	2007 से आगे”।

[फा. सं. वी. 12013/11/2008-आयु. डेस्क]

बी. आनन्द, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 2994, तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 1190(अ), तारीख 11 मई, 2009 को अन्तिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2009

S.O. 2406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In part I of the said Schedule relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Rajasthan”, after serial number 92A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“92B Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 2009 onwards.
	Ayurved Vachaspati [Doctor of Medicine (Ayurved)]	M.D. (Ayurved)	From 2007 onwards.
	Ayurved Dhanwantry	M. S. (Ayurved)	From 2007 onwards”.

[F. No. V. 12013/11/2008-Ay. Desk]

B. ANAND, Jt. Secy.

Note:— The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 2994, dated the 10th August, 1971 and last amended *vide* No. S.O. 1190 (E), dated the 11th May, 2009.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1944]  
No. 1944]नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2009/अग्रहायण 4, 1931  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग ]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

का.आ. 3001(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

“आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित उक्त अनुसूची के भाग-1 में “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नासिक से संबंधित क्रम संख्यांक 63छ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
64 ज. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) आयुर्वेद वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन - आयुर्वेद) आयुर्वेद वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ सर्जरी - आयुर्वेद)	बी.ए.एम.एस. एम.डी. (आयुर्वेद) एम.एस. (आयुर्वेद)	1999 से 2005 तक 1998 से 2006 तक 1998 से 2006 तक

[फा. सं. आर.-12013/2/2004-आयु. डेस्क]

बी. आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 2994, तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1190 (अ) तारीख 11 मई, 2009 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2009

**S.O. 3001(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In Part 1 of the said Schedule, relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Maharashtra”, after serial number 63-G relating to Maharashtra University of Health Sciences, Nashik and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
46 H. Swamy Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 1999 to 2005
	Ayurved Vachaspati (Doctor of Medicine Ayurved)	M.D. (Ay.)	From 1998 to 2006
	Ayurved Vachaspati (Doctor of Surgery Ayurved)	M.S. (Ay.)	From 1998 to 2006

[F. No.R- 12013/2/2004-Ay. Desk]

B. ANAND, Jt. Secy.

**Note :—**The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 2994, dated the 10th August, 1971 and last amended *vide* No. S.O. 1190 (E), dated the 11th May, 2009.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2045]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 2009/अग्रहायण 14, 1931

No. 2045]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 2009/AGRAHAYANA 14, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

( आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,  
सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3121(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची के भाग-II में यूनानी से सम्बन्धित, 'उत्तर प्रदेश' शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक 22ग और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक 2, 3 एवं 4 में प्रविष्टियां क्रमशः अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
	"माहिर-ए-तिब (डाक्टर ऑफ मेडिसिन)	एम.डी. (यूनानी)	2004 से आगे"

[फा. सं. आर-12013/9/2002-आयु. डैस्क]

बी. आनन्द, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः**—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 2994 तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या का. आ. 1190 (अ) दिनांक 11 मई, 2009 को अन्तिम संशोधन किया गया।

4437/GI/2009

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,  
Unani, Siddha and Homeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2009

**S.O. 3121(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule,—

In Part II, relating to Unani, under the heading 'Uttar Pradesh' against serial number 22-C after the existing entries relating thereto, the following entries shall be inserted in column 2, 3 and 4 namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
	"Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine)	M.D. (Unani)	from 2004 onwards"

[F. No. R. 12013/9/2002-Ay. Desk]

B. ANAND, Jt. Secy.

**Note** :—The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 2994 dated the 10th day of August, 1971 and last amended *vide* No. S.O. 1190(E), dated the 11th May, 2009.